

मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, द्वारा ग्राम- तराईमार, जिला रायगढ़ के दुर्गापुर II /सरिया कोल ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोल फील्ड्स के अंतर्गत खुली खदान (लीज क्षेत्र - 693.326 हेक्टेयर) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 28.02.2011 का कार्यवाही विवरण

मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, द्वारा ग्राम- तराईमार, जिला रायगढ़ के दुर्गापुर II /सरिया कोल ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोल फील्ड्स के अंतर्गत खुली खदान (लीज क्षेत्र - 693.326 हेक्टेयर) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 28.02.2011 स्थान - शासकीय प्राथमिक शाला, मेढरमार के समीप का मैदान, ग्राम - मेढरमार, विकासखण्ड व तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 2000 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 16 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री माधव मुकुंद ओझा, असिस्टेंट वाईस प्रेसीडेंट, श्री दीप काबरा, सीनियर वाईस प्रेसीडेंट एवं डॉ. रतन, ई. आई. ए. कंसलटेंट द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 438 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये -

सर्वश्री -

1. बिन्दु भोय, सरपंच, बायसी कालोनी, - जनता की राय हमारी राय है। जनता विरोध करती है तो मैं भी विरोध करती हूँ
2. मुदिस्ता बेग, पतरापारा - मैं इस जन सुनवाई का विरोध करती हूँ, क्योंकि खदान से ध्वनि प्रदूषण होगा, यहाँ 100 हाथी विचरण करते हैं, दूसरे जानवर भी हैं, यहाँ अनेक फल के पौधे जैसे आम, जामुन आदि खनन से ये पौधे सूख जायेंगे और जंगल के पशुओं को आहार प्राप्त नहीं होगा मानव , वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, प्रस्तावित क्षेत्र खेती भूमि है, खदान में 600 फुट तक खुदाई करने से किसान एक बूंद पानी के लिये तरस जायेगा, यहाँ से प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल और छात्रावास स्थित है, उनपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, खनन से यहाँ के लोगों का विकास नहीं विनाश हो जायेगा, तीन किलो मीटर के क्षेत्र में पुरातात्विक क्षेत्र अंबेटिकरा मंदिर और अनेक

- मंदिर तथा चर्च हैं, और कब्रिस्तान है उसकी जानकारी ई. आई. ए. रिपोर्ट में नहीं दी गई है। उपरोक्त कारणों से मैं इस जन सुनवाई का घोर विरोध करती हूँ।
3. स्मृति सोनलता खलखो, पतरापारा – मैं मेसर्स डी. बी. पॉवर का घनघोर विरोध करती हूँ। यहाँ बफर जोन के अंदर मंदिर मस्जिद, गिरजाघर और अन्य कई गुफाएँ हैं, जहाँ जाकर हम अपने देवी देवताओं का पूजा करते हैं, खनन से हमारे विशाल वन का विनाश होगा, मानव और पशु जल के बिना नहीं रह सकते हैं, केवल पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं होगा, नैतिक और सामाजिक प्रदूषण होगा इसलिये मैं विरोध करती हूँ।
 4. फबियला टोप्पो, पतरापारा – इस कोल ब्लॉक के स्थापना पर आपत्ति दर्ज करती हूँ, इसके कारण छोटे-बड़े जंगलों को काटा जायेगा, हाथियों के रहने का स्थान उनसे छीना जायेगा, जिससे भारी जन हानि होगी, ई. आई. ए. रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी गई है, ई. आई. ए. भ्रामक है, धार्मिक और पुरातात्विक क्षेत्र को ई.आई. ए. रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है, क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जायेगा, कोल ब्लॉक के स्थापना से होने वाले उपरोक्त समस्याओं के कारण मैं डी. बी. पॉवर के कोल खदान का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज करती हूँ।
 5. काली, मेंढरमार – कंपनी का विरोध है।
 6. रेणु, मेंढरमार – कंपनी नहीं चाहिए, पर्यावरण बचाओ।
 7. रसमती, मेंढरमार – विरोध है कंपनी का।
 8. बसंती, मेंढरमार – पर्यावरण बचाईये।
 9. अनिमा मंडल, मेंढरमार – जमीन नहीं देंगे।
 10. स्वाती देवी, मेंढरमार – कंपनी का विरोध है।
 11. अंजना, मेंढरमार – हमें कंपनी नहीं चाहिए, पर्यावरण बचाईये।
 12. डी. एस. माल्या, पतरापारा – कल जो बैठक हुआ था, उसमें जो नगर पंचायत क्षेत्र को छोड़ने की बात कही गई थी, क्या यह छोड़ने और लेने का अधिकार कंपनी को है ? क्या माईनिंग क्षेत्र में संशोधन करने का अधिकार है ? कैसे कहा गया है कि 350 या 800 एकड़ जमीन जो धर्मजयगढ़ नगर पंचायत के अंदर है उसे छोड़ देंगे। उसकी जानकारी दी गई है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा कंपनी प्रतिनिधि को बुलाया गया और पूछा गया कि कैसे वे इस क्षेत्र को छोड़ देंगे ?

कंपनी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धर्मजयगढ़ नगर पंचायत का कोई भी क्षेत्र नहीं खरीदा जायेगा और न ही खनन किया जायेगा।

पुनः श्री माल्या, आपने जो ई. आई. ए. रिपोर्ट है उसमें आपने जो जानकारी दी गई है, उसमें पानी के बारे में जो जानकारी दी गई है। उसमें आप स्टोर टैंक बनाना बताया गया है। आपने बताया है 7 एकड़ एरिया ढांगर नाला के बगल में बताया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र में जो कार्यवाही प्रस्तावित है उसे कहां करेंगे ?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पानी का पुर्नउपयोग कर लिया जायेगा। जीरो डीस्चार्ज जब उस क्षेत्र को नहीं खरीदा जायेगा तो अन्य क्षेत्र में टैंक बनाया जायेगा। जो भी कार्यवाही धर्मजयगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित है उसको अन्य स्थान पर करने हेतु लिखित में दे देंगे।

श्री माल्या कंपनी के द्वारा खदान में खोदने हेतु ब्लास्टिंग करेंगे जो कोर जोन में गांव हैं वे प्रभावित होंगे। ब्लास्टिंग से वहाँ के मकान हिल जायेंगे। मानव, जीव

जंतु और पशु पक्षि पर जो प्रभाव पड़ेंगे उसको कोई नहीं रोक सकता यह तभी रुक सकता है जब कंपनी यहाँ से चला जाये, हमारे क्षेत्र का पानी सूख जायेगा, हमारे कपड़े काली हो जायेंगे, मैंने इस क्षेत्र में 7 पुरातात्विक क्षेत्र के बारे में सर्वे किया है, कंपनी वाले को नहीं मालूम कि अंबेटिकरा मंदिर के बारे में उसकी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है उसके बारे में नहीं बताया गया है, इस कंपनी के खुलने से हमारे धर्मजयगढ़ क्षेत्र का अस्तित्व मिट जायेगा, कंपनी यहाँ से चला जाये, हमें शान्ति से रहने दें।

13. अधिर माझी, बायसी कालोनी – मैं इतना जानता हूँ कि डी. बी. पॉवर जो खदान है उसके खुलने से हमारे यहाँ का जल जीवन, जलवायु, हवा पानी, सब कुछ बरबाद हो जायेगा, कंपनी का यह षड़यंत्र है, यहाँ कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी है, कंपनी के लोगों के द्वारा हमारे बायसी कालोनी में लाठी डंडा लेकर समर्थन जुटाने गये थे, हमने उसका विरोध किया और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गये तो हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया, हमने जिन लोगों को विधान सभा, लोक सभा में पहुँचाया वे लोग हमारे बारे में ध्यान नहीं देते, कंपनी को यहाँ नहीं बैठने देना चाहिए, हमारा जीवन नष्ट हो जायेगा, यहाँ का हाथी, भालू, जंगली जानवर हमको नुकसान पहुँचाते हैं, वो हमको मंजूर है, यहाँ नरकालो जंगल और अन्य जंगल को काट रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, आज हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है जब कंपनी बैठ जायेगा तो हमको गोली मार दिया जायेगा, कंपनी के खुलने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा, इनकी तुलना अंग्रेज से करते हैं, ये लोग विदेशी शासन से जुड़े हैं, 735 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
14. ए. सी. खलखो, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करता हूँ। मैंने भी रिपोर्ट का अध्ययन किया है बहुत सारी जो बातें हैं गलत हैं, बफर जोन में बहुत सारे चीजों को नहीं दर्शाया गया है, हमने स्वयं एतिहासिक स्थलों के बारे में नहीं दर्शाया गया है। खनन से यहाँ पर पर्यावरण पर दूरगामी परिणाम पड़ेगा, डी.बी. सिटी, भोपाल में जाकर व्यापार करे, हमारे धर्मजयगढ़ को छोड़ दें। धर्मजयगढ़ में शान्ति व्यवस्था रहने दें। मैं भरपूर विरोध करता हूँ।
15. छोटन चंद मंडल, बायसी कालोनी – हम पाकिस्तान से माईग्रेसन करके इण्डिया में आये थे, उस समय हम सरकारी मदद से हमको यहाँ बसाया गया था, आज 2011 का सन् चल रहा है, हमको बायसी कालोनी में बसाया गया था, सरकार ने हमको पानी पीने के लिये गिलास और खाना खाने के लिये थाली भी दिया था, आज हम यहाँ काम करके फसल उगाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम अपना जमीन किसी भी कीमत पर बेचेंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे और हम पर कृपा करे।
16. लखन मिस्त्री, मेंढरमार – हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे, हमारे जमीन को बचाओ। हम बांग्लादेश से आये थे, सरकार हमको खिला पिला रही है।
17. विनय कुमार पाल, हाथीगढ़ा – हमारा धर्मजयगढ़ का पर्यावरण, यहाँ की वन भूमि, यहाँ की उपजाऊ भूमि और यहाँ का पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ है, यह मेरी मातृभूमि है, मैं इसकी रक्षा के लिये जी. तोड़ मेहनत करूंगा, इसके वन में बहुत सारे आंवला, हर्षा, कत्था और बहुत सारे जड़ी बूटी हैं जो मानव के लिये बहुत उपयोगी है। ये जो दलाल और रावण के रूप में उद्योगपति बैठे हैं वे रुपये को खाकर बता दें तो हम अपना जमीन दे देंगे। यहाँ पर सब्जी और अनाज का उत्पादन होता है, इस

अनाज के लिये कंपनी ने क्या तर्क दिया है, क्या शासन यही चाहता है कि पैसा ही सबकुछ है, यहाँ अन्न उत्पादन होता है जो जशपुर, रायगढ़ कोरबा और अन्य जगह में जाता है, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिये इस कोल ब्लाक का मैं विरोध करता हूँ।

18. चारुबाला, मेंढरमार – जमीन चाहिए, हम अपना जमीन नहीं देंगे।
19. संध्या मंडल, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देना चाहते।
20. भानू, मेंढरमार – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
21. सुमित्रा सरकार, मेंढरमार – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते, कंपनी यहाँ से चली जाये।
22. विशाखा मंडल, मेंढरमार – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
23. देवी मंडल, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देंगे।
24. सृष्टि मंडल, मेंढरमार – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
25. सरस्वती, मेंढरमार कालोनी – जमीन नहीं देना चाहते।
26. कृष्णा विश्वास, मेंढरमार – जमीन नहीं देना चाहते।
27. झरना सरकार, मेंढरमार कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
28. बसंती प्रधान, मेंढरमार – मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, हमने पढ़ा है छ.ग. धान का कटोरा है वह कोयले का ढेर बन जायेगा, मैं कंपनी का विरोध करती हूँ।
29. हेलेना कुजूर, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर को भगाना चाहती हूँ, मैं कंपनी का विरोध करती हूँ।
30. मटिल्दा तिकी, पतरापारा – कोयला खदान के कारण जमीन का जल स्तर नीचे चला जायेगा, जिससे बहुत समस्या होगा, इसलिये कंपनी का विरोध करती हूँ।
31. सारंगी, मिंज, पतरापारा – मैं इस कंपनी का पूरा विरोध करती हूँ। कोयला उत्खनन के लिये छोटे-बड़े जंगलों को काटा जायेगा, जिससे हाथी और अन्य जीव प्रभावित होंगे, इससे शहर वालों को भारी क्षति होगी, कंपनी के ई. आई. ए. में हाथी का न होना बताया गया है। इसलिये मैं विरोध करती हूँ।
32. उर्मिला लकड़ा, पतरापारा – मैं इस डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, यहाँ खनन से धार्मिक और पुरातात्विक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। धर्मजयगढ़ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
33. मर्यानुस एक्का, पतरापारा – डी. बी. पॉवर के द्वारा अगर यहाँ खदान खोला जायेगा तो जल, जंगल, और पानी प्रदूषित हो जायेगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ, यदि यहाँ 140 फीट से कोयला खोदाना चालू होगा और 600 फीट तक खोदा जायेगा तो हमारा जो कुंआ जहाँ 20-40 फीट में पानी आता है वह सूख जायेगा, इस प्रकार हम पानी प्यास से मर जायेंगे इसलिये मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
34. रंजीत केरकेट्टा, पतरापारा – मेसर्स डी. बी. पॉवर के पर्यावरणीय स्वीकृति का मैं विरोध करता हूँ, ग्राम सुराज के तहत हमें यह नारा दिया गया था, कि जल, जंगल जमीन आपका है, तो आज यह डी. बी. पॉवर कहीं से आ गया जो हमसे जमीन को छीन रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, ये सारे जीव जंतु के लिये पानी कहीं से आयेगा, यहाँ रहने वाले मुनष्य और जीव जंतुओं के लिये सोचने की बात है। सब लोग खुश रहें, और हंसते रहें, कंपनी के आने से जो चिंता हो रही है, यह जल, जंगल, जमीन हमारा है हम इसको नहीं देंगे, मैं विरोध करता हूँ।
35. प्रवीण श्रीवास्तव, धर्मजयगढ़ – कल की मीटिंग में सभी लोगों ने यह कहा था, कि जन सुनवाई शान्ति पूर्ण माहौल में होगा, फिर वे बाहर से लोगों को ट्रक में भरकर यहाँ से क्यों लाये हैं ? हमारे एस. पी. महोदय कह रहे हैं कि रायगढ़ जिले का

कोई भी आदमी आ सकता है, उनके पास कोई आई कार्ड है, जब जिंदल आया था तो छोटे जगह में था, आज रायगढ़ को छू रहा है, आज ये कंपनी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कल कहीं और चले जायेंगे, तो फिर उस कागज का क्या महत्व रहेगा ? जो इन्होंने लिख कर दिया है, दो चार जूते और मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को खरीदना चाहते हैं, बाहर से लोग बुलाकर समर्थन करवाया जा रहा है मैं इसका विरोध करता हूँ।

36. प्रदीप तिग्गा, धर्मजयगढ़ – जो ई. आई. ए. रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी गलती है, जो 350 हेक्टेयर छोड़ने की बात है, उसको इसमें सुधार नहीं सकते थे, यहाँ के लोग बहुत शान्ति से जी रहे थे, यहाँ अशान्ति फैलाने आ गये हैं, आज ये जूता, चप्पल और थैला बांट रहे हैं, क्या यह गलत नहीं है, बाद में भी तो बांट सकते थे। मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ जल, ध्वनि, मृदा और वायु प्रदूषण होगा, लोगों की दीवार में दरार हो जायेंगे। पेड़ पौधे, जंगल और मानव जाति के रक्षा के लिये मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ।
37. बेनेडिक टोप्पो, पतरापारा – डी बी पावर के जो कोयला उत्खनन के लिये जो जन सुनवाई हो रहा है मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। आज यहाँ जन सुनवाई हो रहा है आज जितने भी कोयला खदान से उठेंगे क्या वो इसको रोक सकेंगे अगर नहीं रोक सकते तो यथा शीघ्र वापस चले जायें। जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस लीकेज हुआ था तो हवा को रोक नहीं पाये यहाँ भी हवा को रोक नहीं पायेंगे। हमारे जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जाये, जैसे ही यहाँ 600-700 फूट खोदा जायेगा तो हमें पानी नहीं मिलेगा, कितना बिजली का उत्पादन छ.ग. में किया जायेगा। यहाँ पर हाथी रहते हैं, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। हाथी के द्वारा कितने घरों को गिराते देखा हूँ। यहाँ पर प्रदूषण होगा उसको कोई नहीं रोक सकेगा। यहाँ जो भी विस्फोट होगा उसको हमको भुगतना पड़ेगा, यहाँ कितने शिक्षित लोग हैं उसको भी छिपाया गया है, यहाँ पर धार्मिक स्थल, पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में नहीं बताया गया है। हम आपको नहीं चाहते आप यहाँ से चले जाइये।
38. अन्ना मिंज, धर्मजयगढ़ – मैं इनका विरोध करती हूँ क्योंकि प्रदूषण होगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, निवास करने वाले जीव जंतु नष्ट हो जायेंगे, हमारे ऊपर ही नहीं पूरे धर्मजयगढ़ पर इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये मैं इनका विरोध करती हूँ।
39. फिलोनिमा, भेंगरा, पतरापारा – यहाँ खनन करने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र है जहाँ लोग ईलाज करवा रहे हैं, धार्मिक और पुरातात्विक स्थल पर प्रभाव पड़ेगा इसलिये मैं इसका विरोध करती हूँ।
40. स्वर्णलता खलाखो, बेहरापारा – कोयला खनन से सम्पूर्ण धर्मजयगढ़ पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिये जन सुनवाई को निरस्त किया जाये।
41. अस्वनी एक्का, बेहरापारा – मैं डी. बी. पावर का विरोध करती हूँ।
42. कु. किर्ति विद्या कुजूर, बेहरापारा – मैं कंपनी का विरोध करती हूँ।
43. आभा एक्का, वार्ड क्र. 9, धर्मजयगढ़ – मैं इस कंपनी के मालिक का नाम जानना चाहती हूँ। जो मैनेजर है वे अपने मालिक को बोल दें कि हम जमीन को नहीं देंगे, जब हमारा घर टूट जायेगा तो कैमरा लेकर आयेंगे क्या ? हमारे धर्मजयगढ़ में स्कूल है, चर्च है, मंदिर है मस्जिद है उसके बारे में नहीं सोचा है हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जायेंगे ? कंपनी के लोग कहते हैं कि यहाँ पढ़े-लिखे नहीं है बाहर के लोगों

को काम करने लायेंगे। हम कंपनी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे वापस चले जायें, हम एक एकड़ भी जमीन नहीं देंगे। वो कहते हैं हमें पैर रखने के लिये जमीन दे दो, हमारी जमीन है हम क्यों उनको देंगे। गांधी जी ने कहा है जियो और जीने दो।

44. किशोरी कुजूर, पतरापारा – डी. बी. पॉवर का मैं विरोध करती हूँ। क्योंकि इससे प्रदूषण होगा, हमारे शरीर में परिवर्तन हो जायेगा इसलिये मैं विरोध करती हूँ।
45. लिलि एक्का, पतरापारा – धर्मजयगढ़ का वातावरण, गिरिजाघर, मंदिर प्रदूषित हो जायेगे मैं इसका विरोध करती हूँ।
46. कांति मिंज, पतरापारा – मैं यहाँ के लोक सुनवाई का विरोध करती हूँ, यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्कूल है, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य केन्द्र में हजारों लोग ईलाज करा रहे हैं, पुरातात्विक क्षेत्र अंबेटिकरा और ईसाईयों का विशाल चर्च है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, नगर पंचायत में ईसाईयों और मुसलमानों का कब्रिस्तान है। ई. आई. ए. में उसको नहीं बताया गया है, इसपर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
47. प्रसन्न कुजूर, धर्मजयगढ़ – यहाँ पर स्थित, मंदिर, गिरीजाघर और मस्जिद हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये इस कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
48. अनुरजनी खलखो, पतरापारा – लोक सुनवाई का विरोध कर आपत्ति दर्ज करती हूँ।, खनन से ध्वनि प्रदूषण होगा, यहाँ के स्कूल हैं जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये इसका विरोध करती हूँ।
49. विरांजो तिर्की, धर्मजयगढ़ – मैं यहाँ के लोक सुनवाई का विरोध करती हूँ, यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्कूल है, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य केन्द्र में हजारों लोग ईलाज करा रहे हैं, पुरातात्विक क्षेत्र अंबेटिकरा और ईसाईयों का विशाल चर्च है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, नगर पंचायत में ईसाईयों और मुसलमानों का कब्रिस्तान है। खनन से प्रदूषण होगा।
50. रेजिना लकड़ा, पतरापारा – खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषण होगा, ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण होगा इसलिये मैं कंपनी का विरोध करती हूँ।
51. संध्या बसक, मेंढरमार – जमीन नहीं देंगे।
52. सविता कुजूर, पतरापारा – डी. बी. पॉवर ग्रुप का विरोध करती हूँ, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये विरोध करती हूँ।
53. अलमा कुजूर, पतरापारा – डी. बी. पॉवर ग्रुप का विरोध करती हूँ, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये विरोध करती हूँ।
54. प्रफुल्ला कुजूर, पतरापारा – मैं जन सुनवाई पर आपत्ति दर्ज करती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, सम्पूर्ण धर्मजयगढ़ पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिये विरोध करती हूँ।
55. सेलिन लकड़ा, बेहरापारा – डी. बी. पॉवर ग्रुप का विरोध करती हूँ, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये विरोध करती हूँ।
56. लेखा कुजूर, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर ग्रुप का विरोध करती हूँ, पर्यावरण प्रदूषण होगा, और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये विरोध करती हूँ।
57. सीपीएम, कुजूर, पतरापारा – डी. बी. पॉवर लिमिटेड के स्थापना का मैं विरोध करता हूँ, मानव जीवन पर्यावरण के कारण सुरक्षित है, ये लोग यहाँ खनन करेंगे, यहाँ, जो हाथी, शेर है, उनके स्वतंत्र जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हम कंपनी नहीं चाहते यह कंपनी वापस जाये। कंपनी वायु प्रदूषण को नहीं रोक पायेगा, मानव अस्तित्व

- समाप्त हो जायेगा, क्या ये लोग मशीन के द्वारा हवा उत्पन्न करके जी रहा है, पर्यावरण से हवा उत्पन्न होता है।
58. प्रदीप कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी. बी. कंपनी का विरोध करता हूँ, कंपनी के आने से वायु प्रदूषण और धार्मिक स्थल प्रभावित होंगे, कंपनी के आने से विकास नहीं होगा, विनाश होगा।
59. सुधीर बड़ा, पतरापारा – हम आदिवासी हैं और यह धर्मजयगढ़ क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जल, जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, डी. बी. पावर के आने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन प्रभावित होगा, ई. आई. ए. रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। यहाँ चर्च मंदिर, मस्जिद के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी, आप के आने से जब यहाँ इतना उथल-पुथल हो रहा है जब आप आ जायेंगे तो क्या होगा।
60. जगत तिकी, पतरापारा – इस डी.बी. पावर का आपत्ति दर्ज करता हूँ। प्रदूषण बढ़ेगा। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल प्रभावित होगा।
61. आकाश तिग्गा, बेहरापारा – विरोध कर आपत्ति दर्ज करता हूँ।
62. लोकेन्द्र चौहान, बेहरापारा – पूरा धर्मजयगढ़ प्रभावित होगा। आपत्ति को पढ़ के सुनाया गया।
63. रोहित तिकी, बेहरापारा – ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक स्थल प्रभावित होगा।
64. अनुप प्रधान, पतरापारा – मेसर्स डी.बी.पावर का विरोध करता हूँ। क्योंकि जल जमीन प्रभावित होगा।
65. अनील मधु, बायसी कॉलोनी – विरोध करता हूँ।
66. इन्दु, पत्रकार, धर्मजयगढ़ – इस डी.बी. पावर के कोल उत्खनन से 14432 पेड़ काटे जायेंगे, 7775 छोटे पेड़ काटे जायेंगे, 365 हाथी,, 890 लकड़बघा, 970 हिरण, 2927 लोमड़ी, 3228 नेवले, 1890 गोहे, 157 बंदर, 1658 जंगली सुअर, 27895 गिलहरी सहित अनेक जानवरों की हत्या कर दी जायेगी, सांप के प्रजाती भी मारे जायेंगे, इनके कोल उत्खनन से हजारों गाड़ियों चलेंगे डीजल के जलने से वायु प्रदूषण होगा, आंखों और हृदय के रोग होंगे, जल प्रदूषण से लोगों में डायरिया, पेचिस जैसे अनेक रोग होंगे, जब 600 फीट की गहराई से कोयला निकालेंगे, तो यहाँ के कुएं और बोर सूख जायेंगे तो पीने का पानी कहाँ से आयेगा ? इस अंचल से डी. बी को भगाने में ही मानवता है। पुरखों के कब्र जो आपने पीढ़ियों से बनाये हैं उनको ये उखाड़ देंगे। अन्य राज्य के अपराधी यहाँ आयेंगे, जो चोरी, डकैती और बलात्कार करेंगे, ये आपके बच्चों को अपहरण कर करोड़ों की फिरोती मांगेंगे, ये अंग्रेजों के वंशज हैं। धर्मजयगढ़ में शान्ति बने रहे डी. बी. नहीं चाहिए। हर व्यक्ति इसका विरोध करे। धर्मजयगढ़ का प्रसिद्ध चर्च, हमारे मुसलमान भाईयों का जो मस्जिद हैं, उनको तोड़ दिया जायेगा, सारे वार्ड को उखाड़ कर फेंक दिया जायेगा। धर्मजयगढ़ का अस्तित्व को समाप्त करने ये डी. बी. पावर वाले आये हैं, आपने 800 एकड़ छोड़ेंगे तो क्या 1000 एकड़ में जरे 69 मिलियन टन निकालने की बात है वह निकाल पायेंगे क्या ? आज कहते हैं कि गंदा पानी स्टोर नहीं करेंगे तो क्या उस पानी को बोतल में भरकर भोपाल भेजेंगे। क्या डस्ट को पैकेट में भरकर भेजेंगे।
67. भगई सिंह, मेंढरमार – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं।
68. सुन्दर बड़ा, पतरापारा – मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि वे यहाँ पर अपना अड्डा न जमायें।

69. जुलेता किस्पोटा, पतरापारा – पर्यावरण बचाओ, डी. बी. पॉवर को घोर विरोध करती हूँ।
70. इमिल्या तिर्की, बेहरापारा – डी. बी. पॉवर लिमिटेड के लोक सुनवाई का विरोध कर आपत्ति दर्ज करती हूँ, प्रदूषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पुरातात्विक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण के कारण जीने में परेशानी होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, इसलिये डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
71. बसंती कुजूर, पतरापारा – डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
72. शीला खलखो, पतरापारा – डी. बी. पॉवर का घोर विरोध करती हूँ। डी.बी. पॉवर को यहाँ अड़्डा न दिया जाये, प्रदूषण बढ़ेगा।
73. कमला एक्का, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होगा, लोगों की जीवन प्रभावित होगा।
74. इमिल्या टोप्पो, पतरापारा – डी. बी. पॉवर का जो जन सुनवाई हो रहा है उसका विरोध करती हूँ, सब को मालूम है कि इस उत्खनन से मानव जीवन के स्वास्थ्य पर बहुत विपत्ति होगा। आज लोग जानबूझकर सीधी-साधी जनता से आप लोग परिचित नहीं है, यहाँ जनता पर्यावरण में बहुत आनंद से रहती है, आप लोगों के आने से उदासी आयी है, उनका दर्द बढ़ा है, महिला भी पुरुषों के सामान आगे आकर अपना दर्द बता सकते हैं, यहाँ कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि पेड़ लगायेंगे क्या एक महीने में पेड़ बन जायेंगे आप पर्यावरण नहीं बना सकते, आप अस्पताल बनायेगे कहते हैं, इन अस्पतालों के बनने में कितने साल लगे हैं, तो ये कितने दिन में बनेंगे। प्रलोभन दे रहे हैं, जूता, चप्पल बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फिर हम आप पर कैसे विश्वास करेंगे। यहाँ के जनता सीधी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना जानते। आप लोग हमको भ्रम में डाल रहे हैं, इसलिये मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, जियो और सबको जीने दो। आप लोग यहाँ से चले जायेंगे तो हमको शान्ति मिलेगी। हम लोग आनंद से जी रहे हैं। भाईयों आप लोग प्रलोभन में न आयें। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ।
75. किसकिना तिर्की, धर्मजयगढ़ – आबंटित कोल ब्लॉक का विरोध करती हूँ। क्योंकि पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
76. विणा विश्वास, बीडीसी, जनपद पंचायत, धर्मजयगढ़ – जिस ई. आई. ए. के आधार पर जन सुनवाई हो रही है वह भ्रामक है, तथ्यों को छुपाया गया है, इसलिये जन सुनवाई को निरस्त किया जाये, कोल ब्लॉक के खुलने से ध्वनि, जल, एवं वायु प्रदूषण होगा, नगर पंचायत को छोड़ा जाना बताया गया है तो क्या ग्राम पंचायत में लोग निवास नहीं करते उसे भी छोड़ा जाये। खेती योग्य भूमि बंजर हो जायेगा, इसलिये मैं मांग करती हूँ कि इस उद्योग को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाये।
77. अंकिता तिग्गा, पतरापारा – मैं इस डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, क्योंकि इसके खुलने से पर्यावरण को प्रभाव पड़ेगा और धार्मिक स्थल नष्ट हो जायेगा।
78. अंजली तिर्की, पतरापारा – मैं डी. बी. कंपनी का विरोध करती हूँ। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे।
79. तारा खलखो, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल पर प्रभाव पड़ेगा।
80. कमला लकड़ा, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करती हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल पर प्रभाव पड़ेगा।

81. रामवति, पतरापारा – मैं डी. बी. पावर का विरोध करती हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल पर प्रभाव पड़ेगा।
82. पियुस मिंज, पतरापारा – मै. कम्पनी का विरोध करता हूँ। धार्मिक स्थलों पर प्रभाव पड़ेगा इस कारण विरोध करता हूँ।
83. राकेश कुमार तिर्की, धर्मजयगढ़ – लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
84. नितिन लकड़ा, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
85. सुरज तिर्की, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
86. अरविंद एक्का, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
87. रोहित तिर्की, नया पतरापारा – यहां खनन से ध्वनि प्रदूषण होगा, डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
88. अनुरंजन एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। जब हमसे विश्वासघात करता है, हमारे धर्मजयगढ़ में बहुत सारे पेड़ हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है, जबकि वे पेड़ यहाँ हैं।
89. फ्रांसीस एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ और आपत्ति दर्ज करता हूँ, खनन से ध्वनि प्रदूषण होगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
90. गनायुस एक्का, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
91. उमेश सिंह, पतरापारा – मैं डी. बी. ग्रुप का विरोध करता हूँ।
92. पंकज तिग्गा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का घोर विरोध करता हूँ।
93. सुलेमान बरवा, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। समस्त पर्यावरण पर प्रदूषण होगा।
94. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – कल जो त्रिपक्षीय वार्ता है उसमें जो बातें हुई हैं, उसके आधार पर पुनः ई. आई. ए. बनना है फिर से जन सुनवाई करवाया जायेगा तो फिर इस जन सुनवाई का क्या महत्व है ? धर्मजयगढ़ एरिया में ही 19 मिलियन टन सी ग्रेड का कोयला है, तो फिर उस क्षेत्र को कैसे छोड़ा जायेगा। अगली बार जन सुनवाई से पहले जो स्वीकृति देते हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ आये और यहाँ की स्थिति देखें। हम राईटिंग में भी लिख कर जमा कर रहे हैं हमें पता है कि उस पर विचार नहीं किया जायेगा, यहाँ और 23 माईन आने वाले हैं उसके बारे में ई. आई. ए. में जानकारी नहीं दिया गया है।
95. माईकल एक्का, धर्मजयगढ़ – मेसर्स डी. बी. पावर कोल ब्लॉक के लोक सुनवाई का विरोध कर आपत्ति दर्ज करता हूँ क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होगा, पुरातात्विक क्षेत्र प्रभावित होगा, और धर्मजयगढ़ पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
96. अजय एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
97. अजय टोप्पो, पतरापारा – डी.बी. पावर का घोर विरोध करता हूँ।
98. जलसाय तिर्की, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का घोर विरोध करता हूँ।
99. अनिस एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का घनघोर विरोध करता हूँ।
100. जेनेदियुस लकड़ा, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
101. विश्वनाथ, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
102. सामवेल कुजूर, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
103. डी. के. एक्का, संतोष नगर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।

104. एकेम मिंज,संतोष नगर, धर्मजयगढ़ – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। क्योंकि जब हम खदान की बात करते हैं तो पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं, हम पर्यावरण को बिगाड़ कर जी नहीं सकते। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।
105. रिंमजुमूस, तिर्की, लक्ष्मीपुर – ये जितने भी घर है कच्चे है लकड़ी से बने हैं, कंपनी के बनने से कोयले के घर बनाये जायेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
106. दिनेश खलखो, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
107. अभय कुमार कुजूर, पतरापारा – डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
108. निलेश केरकेट्टा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
109. राजू अग्रवाल, धर्मजयगढ़ – डी. बी. पावर के आने से धर्मजयगढ़ को नुकसान होगा इसलिये मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
110. त्रिलोक सोनी, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
111. ठाकुर राय, मेंढरमार कालोनी – कंपनी का विरोध करता हूँ।
112. सेमिना लकड़ा, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ क्योंकि जब ट्रक चलेंगे तो प्रदूषण होगा, हमारी पढ़ाई में व्यवधान होगा।
113. पारुल मंडल, मेंढरमार – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
114. नील कुसूम, किस्पोट्टा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ क्योंकि हमारे पुरातात्विक तत्वों को हानि होगी, प्रदूषण होगा।
115. मुक्तिलता एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
116. प्रिजिट कुल्लू, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होगा, और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
117. नयनतार, मेंढरमार – जमीन नहीं देंगे।
118. नीला, मेंढरमार – कंपनी नहीं चाहिए।
119. रीनाराय, हाथीगड़ा – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
120. जलीमा, मेंढरमार – हमलोग जमीन नहीं देंगे।
121. फिरदा तिर्की, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
122. सावित्री मंडल, मेंढरमार – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। मेरे बाल बच्चों के लिये जमीन नहीं बचेगा।
123. सविता रानी मंडल, मेंढरमार – जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो कंपनी ने हमको सहारा नहीं दिया आज हमने बहुत मेहनत करके जमीन बनाया है। हम अपना जमीन नहीं देंगे।
124. सविता हलधर, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देंगे।
125. मंजू राय, मेंढरमार – जमीन नहीं देंगे।
126. पीला बाई, बेहरापारा – अपना जमीन को नहीं छोड़ेंगे।
127. शनिमति, बीजापथरा – हम जमीन नहीं देंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं हम कहां जायेंगे?
128. विमला, बेहरापारा – जमीन नहीं देंगे।
129. पंचो बाई, बीजापतरापारा – हम जमीन नहीं देंगे, हम सोना चांदी नहीं खाते, हम अपने बच्चों को कहां लेकर जायेंगे ?
130. धनकुंवर, बीजापतरा – हम जमीन नहीं देंगे।
131. जलेबी बाई एक्का, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा।

132. अगुतीना कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि इसके आने से पर्यावरण में भारी प्रदूषण होगा।
133. पुतजी बाई, संतोष नगर – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि यहाँ का पर्यावरण बरबाद नहीं करना है। हमारे पास जो आम, नींबू, महुआ के पेड़ हैं, उनका क्या देंगे, हमारे बच्चे उससे जीयेंगे, खायेंगे क्या वह पर्यावरण बनायेंगे, बैट, बाल दे रहे हैं लेकिन क्रिकेट कहीं खेलेंगे जब जमीन को ले रहें हैं, क्या हम अपने बच्चों को चप्पल खरीद कर नहीं दे सकते, दूध मांगोगे खीर देंगे, धर्मजयगढ़ मांगोगे, चीर देंगे।
134. अमिता तिकी, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि प्रदूषण होगा, ऐतिहासिक महत्व के स्थल पर प्रभाव पड़ेगा।
135. फूलजिसिया सीमा, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
136. मयंक कुमार टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। खदान के आने से प्रदूषण होगा, जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे धर्मजयगढ़ पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
137. सतीश लकड़ा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। धर्मजयगढ़ के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
138. संतोष कुमार, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
139. विवेक कुजूर, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। क्योंकि इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो क्या कोयला खायेंगे?
140. संयज कुजूर, पतरापारा – जब यहाँ कोयला खोदा जायेगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारे पूर्वज इस जमीन को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती करते आये हैं, यहाँ पर खनन करने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा।
141. कमल मंडल, मेंढरमार – मैं डी.बी. पावर का घोर विरोध करता हूँ। कुछ बच्चों को भगा दिया गया क्या वे लोग अपने हक के लिये नहीं लड़ सकते ? स्कूल टूट जायेगा, उनका शिक्षा छूट जायेगी और वे बेकार हो जायेंगे। तो उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मैं इस कंपनी का घोर विरोध करता हूँ।
142. विश्वानाथ उनसेना, पतरापारा – कंपनी के खुलने से यहाँ वायु प्रदूषण होगा, अंबेटिकरा और गिरजाघर को यहाँ के नक्शा से मिटाया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ और पर्यावरण को समाप्त होने से बचाने के लिये महोदय से निवेदन करता हूँ।
143. विजय कुमार, बायसी कालोनी – अगर डी. बी. कंपनी आती है तो हमारे जल, जंगल, जमीन नष्ट हो जायेगा। कंपनी कहती है कि विकास होगा, वह विकास ही क्या, जिससे प्रदूषण हो।
144. त्रिलोचन प्रधान, दरोड़ी – डी बी पावर को यहाँ आने नहीं देना चाहिए, सरकार से निवेदन है।
145. मोहित राम, क्रोधा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
146. महेन्द्र सिंह, क्रोधा – हमारा जंगल बहुत बड़ा है, उसमें कितने जीव-जंतु हैं, कितने लोग हैं, उसको देख कर आये। एक लकड़ी काटने पर केस बनाता है और इतना बड़ा जंगल जब कंपनी काटेगा तो सरकार क्या करेगी। हमारे 17-18 गांव को निकालना चाहता है। सरकार उसको रोक नहीं सकता है।
147. अनिल राय, मेंढरमार – हम अपने जमीन को नहीं देना चाहते हैं।

148. सृजल कुमार, बायसी कालोनी – ई. आई. ए. रिपोर्ट को जो खुलासा हुआ है। दो दिन पहले हमारे गांव के किसान के 60 एकड़ के फसल को हाथी ने नुकसान पहुँचाया है। हमारे जो रमन सरकार है वो 2656 करोड़ खेती के लिये बजट में लाये हैं। हम नहीं चाहते हमारे किसान शहीद हो जाये। मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ।
149. फ्रांसिक्का कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं कंपनी को भगाना चाहता हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं उनको झूठ बोलकर ये यहाँ बस रहे हैं, अगर कंपनी भगा देगा तो बच्चे कहीं खेलेंगे। कंपनी को भगा दीजिये कंपनी का विरोध करती हूँ।
150. अनस्तिसिय कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
151. पारुल, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
152. रुबी विश्वास, मेंढरमार – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
153. अश्वनी घोष मेंढरमार – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
154. लेबूरानी मंडल, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देना चाहते हैं।
155. मीरा बाई, क्रोधा – जमीन नहीं देना चाहते हैं।
156. मनियारो बाई, क्रोधा – हमारा जमीन खराब हो जायेगा, हम जमीन नहीं देना चाहते।
157. रेजिना कौशिक – मंदिर मस्जिद नष्ट हो जायेंगे, हम अपना हक मांगते हैं, मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
158. फूल बाई, क्रोधा – हमारा जमीन बचाओ, हम जमीन नहीं देना चाहते हैं।
159. कुसंती, क्रोधा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
160. लुनिया कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि इससे प्रदूषण होगा।
161. अन्सुमाला किन्डो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
162. रविन्द्र मंडल, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। क्योंकि इनको जो जमीन आबंटित की गई है, वो खेती युक्त उपजाऊ जमीन है, उसमें साल भर साग सब्जी होते हैं, यहाँ के किसान, उस पर खेती कर अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं, यहाँ हर साल करोड़ों रुपये का तेंदू पत्ता का संग्रहण होता है, जो समाप्त हो जायेगा, जंगल में बहुत ही कीमती लकड़ियाँ हैं, साथ ही महुआ से बहुत आमदनी होती है। खदान खुलने से समस्त किसान बेरोजगार हो जायेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, यहाँ हाथी है, जंगली जानवरी प्रभावित हो जायेंगे। वनौषधी भी यहाँ पाये जाते हैं, वे सब बर्बाद हो जायेगी। धर्मजयगढ़ में पुरातात्विक क्षेत्र और विभिन्न मंदिर हैं वे नष्ट हो जायेंगे, प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे भी बर्बाद हो जायेंगे। इतने सारे बर्बादी न हो इसके लिये इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाये।
163. संजय कुमार डे, धर्मजयगढ़ कालोनी – यह क्षेत्र अंधकारमय हो जायेगा, धर्मजयगढ़ में एक मेगावॉट का विद्युत सब स्टेशन है। खदान के लिये यहाँ विस्फोटक भण्डारित किया जायेगा, उत्खनन पूर्व मिट्टी जो खोदा जायेगा, उससे आस-पास के लोग धूल खाने के लिये मजबूर हो जायेंगे। खदान क्षेत्र पूरा नगर पंचायत क्षेत्र में है, जिससे नगर पंचायत नष्ट हो जायेगा, उद्योग समूह के द्वारा कहा गया है कि 350 एकड़ जमीन छोड़ना बताया है, जबकि उक्त क्षेत्र के नीचे सी ग्रेड का कोयला है, जिसकी मात्रा 52 मिलियन टन है। भूमि हड़पने की यह एक साजिस है। कंपनी 150 करोड़ रुपये खर्च करके क्या कंपनी केवल एफ और जी ग्रेड कोयले का उत्खनन करेगा। नगर पंचायत में कोयला उत्खनन नहीं करने की जो शपथ पत्र दी

गई है, जिसमें से कंपनी ने विभिन्न डम्प यार्ड बनाया जाना है। स्थानीय लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र में 5 प्रतिशत शासकीय क्षेत्र और कुछ छोटे झाड़ के जंगल है। कंपनी द्वारा विस्थापित करके सागरपुर में बसाया जाना बताया गया है, जो भयंकर हाथी प्रभावित क्षेत्र है, अभी कुछ दिन पूर्व ही वहाँ हाथी का हमला हुआ है। कंपनी के द्वारा जो व्यक्ति मकान नहीं लेना चाहता उनको 75 हजार रुपये और जानवरों के लिये 10 हजार रुपये दिया जाना बताया गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ।

164. दूबराज सिंह, क्रोधा – हम जमीन नहीं देंगे।
165. राजेश कुमार, क्रोधा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
166. संजीव भगत, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
167. आनंद कुमार, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। कंपनी का जो बेनर टंगा है उसमें डी. बी. पावर, धर्मजयगढ़ लिखा है, उसको हटाया जाये। डी. बी. पावर के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।
168. अमृत तिकी, धर्मजयगढ़ – आपके पीछे जो बोर्ड लगा है उसको हटाया जाये। हमको गुमराह किया जा रहा है।
 कंपनी प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र को पढ़ा गया कि डी. बी. पावर माईनिंग धर्मजयगढ़ नगर पंचायत एरिया में नहीं करेंगे और पाण्ड को भी अपने माईनिंग लीज एरिया में ले जायेंगे।
169. रविन्द्र बघेल, खरसिया – डी. बी. पावर के कारण प्रदूषण होगा, इसलिये पूरा यूथ कांग्रेस घोर विरोध दर्ज कराती है। जो 350 एकड़ जमीन कंपनी ने छोड़ने की बात कही है उसका नक्शा पास करवाया जाये और उसके बाद जन सुनवाई करवाई जाये। पुर्नवास के बारे में सरकार या कंपनी के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जन सुनवाई के पूर्व इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर उनको मूल अधिकारों से अलग किया जा रहा है, आदिवासियों को कहीं भी विस्थापित न किया जाये। यह हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, जिस पर शोध किया जा रहा है, फिर कोल माईन हेतु इस क्षेत्र को कैसे आबंटित किया जा सकता है। हाथियों का उत्पात और अधिक होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? लात खदान में पहले से कोई खदान चल रहा है वहाँ पूरी हरियाली खत्म हो चुकी है, वहाँ एक मिनट सायकल में जाकर देखिये, वहाँ आपके मुँह काला हो जायेगा, तो क्या धर्मजयगढ़ के लोगों का भी मुँह काला करना चाहते हैं ? पावर प्लांट के लिये कोयला जा रहा है। जब किसानों का जमीन जाता है तो क्या इनका फर्ज नहीं है कि उन किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाये, कितने प्लांट के द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली आबंटित किया गया है। ये जो नगर पंचायत क्षेत्र में खनन नहीं करने की बात कही गई है वह कितने दिनों के लिये कहा गया है। क्या हमेशा के लिये कहा गया है। महानदी का कितना पानी लेंगे ? इसके बारे में नहीं बताया है। वॉटर लेबल पहले से गिरा हुआ है। रोजगार के संबंध जिले के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
170. विजय कुमार शर्मा, रायगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। इस क्षेत्र में जो कोयले की कालिख पुतेगी उसका आंकलन नहीं किया गया है, यहाँ के पर्यावरण

और यहाँ के लोगों को बचाने के लिये मैं डी. बी. पावर का विरोध करता हूँ, यहाँ के लोग जब आये थे, तो यहाँ कुछ नहीं था, आज इन लोगों ने यहाँ इस जगह को बनाया है तो उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। कविता पढ़ कर सुनाया गया।

171. मानमति, मेंढरमार – जमीन नहीं देंगे।
172. चन्द्रमति, कौंधा – विरोध करती हूँ।
173. रजमेत बाई, कौंधा – विरोध करती हूँ।
174. सन्तकुमारी, कौंधा – जमीन नहीं देंगे।
175. पांचो बाई, कौंधा – हम जमीन नहीं देंगे।
176. धनमेत बाई, कौंधा – हम जमीन नहीं देंगे।
177. सोनमति, कौंधा – जमीन नहीं देंगे।
178. संतकुंवर, कौंधा – हम जमीन नहीं देंगे।
179. अंगोरा, कौंधा – जमीन नहीं देंगे।
180. धनकुंवर, बायसी – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
181. निरजा बाई, कौंधा – हम जमीन नहीं देना चाहते हैं।
182. नंदनी, बायसी – हम कंपनी को नहीं देंगे।
183. तारामती, लाखपतरा – जमीन को कंपनी को नहीं देंगे। हमारे बच्चे कहाँ जायेंगे ?
184. जुलिया केरकेट्टा, पतरापारा – हम लोग यहाँ अपने बच्चों को बड़े किये हैं, कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
185. आनंद सलोकी भगत, पतरापारा – हम डी. बी. पावर को जमीन नहीं देंगे।
186. बसंती भगत, बेहरापारा – डी. बी. पावर लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
187. तेरेसा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
188. गीतापंथ, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
189. सनमी, पतरापारा – विरोध करती हूँ।
190. मुक्ता एक्का, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
191. सोफिया मिंज, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
192. लारा तिग्गा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
193. लुसीया केरकेट्टा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
194. पलोरा तिर्की, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
195. सारथी पुरकायस्थ, संतोष नगर – हमारे बच्चे कहाँ जायेंगे ? जब कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ जायेंगे ? इसलिये मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
196. पुष्पा एक्का, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। वो यहाँ से हट जाये।
197. सविता रथ, जन चेतना, रायगढ़ – मैं डी. बी. ग्रुप के कोल उत्खान की जन सुनवाई का निम्न बिन्दु पर विरोध करती हूँ आज की जन सुनवाई केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना 2006 के विरुद्ध है। आवेदन के 45 दिन के अंदर जन सुनवाई करवा लिया जाना चाहिए, चूंकि यह जन सुनवाई 45 दिन के बाद हो रही है यह जन सुनवाई अवैध है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है जो अनुसूची 5 के अंतर्गत है, यहाँ से 3 किलो मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले बिरहोर, पंडा और पहाड़ी कोरवा के लोग रहते हैं, उन्हें हम खो देंगे, यहाँ के जंगल से जो चार और चिरोंजी से वहाँ के लोगों का भरण पोषण होता है, कोयला खदान से आदिवासी संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जायेगी, यहाँ हाथियों के द्वारा लोगों के फसलों को नुकसान करने की सूचना मिलती है और

- हाथी भगाने के लिये लाखों रुपये खर्च होने से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र का दिल्ली के टीम से जाँच करवाना चाहिए। ग्राम पंचायत के उप धारा के तहत किसी भी ग्राम पंचायत में खदान खोलने के लिये विशेष ग्राम पंचायत का आयोजन करके उसमें सहमती लेनी होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। रोजगार कार्यालय में 75000 लोग बेरोजगार लोगों की सूची है किसी भी उद्योग के द्वारा उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। कोल माईन क्षेत्र के 15 कि.मी. के दूरी पर ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय उद्यान है, उसको छुपाया गया है, आई.टी.आई. यहाँ है जिसकी जानकारी नहीं दी गई है। माण्ड नदी से पानी ली जायेगी, और खदान से भी पानी निकाला जायेगा, जिससे माण्ड नदी पर खतरा बढ़ जायेगा, और माण्ड नदी का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, महिलाओं को विस्थापन का मार झेलना पड़ता है, उनके लिये ई. आई. ए. में एक लाईन भी नहीं लिखा गया है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है, इस जिले में एक अदद महिला थाना का निर्माण हो। किस कंपनी के द्वारा आज तक किसी स्थल पर आदर्श नीति के तहत पुर्नवास किया है तो हमें दिखा दे। धरती के अंदर की संपदा का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए, यह जन सुनवाई अवैधानिक है अतः इस जन सुनवाई को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए।
198. जोरोमिना एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। क्योंकि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
 199. कुमुदनी टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
 200. प्रभा लकड़ा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
 201. ब्रिजीट एक्का, बेहरापारा – कंपनी को यहाँ बैठने ही नहीं देना है। मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ। जो भी इस कंपनी का समर्थक है वह इस पंडाल को छोड़कर चला जाये। आज यहाँ पर इतना अधिक पुलिस प्रशासन क्यों है ?
 202. गोमती तिग्गा, धर्मजयगढ़ – जमीन हमारी है हम जमीन नहीं देंगे।
 203. चन्द्रकांति, धर्मजयगढ़ – जब कंपनी आने ही नहीं देना है तो पुर्नवास की बात कहाँ से आती है, हम अपना जमीन नहीं देंगे।
 204. उर्मिला मिंज, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
 205. सेलिना एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर को जमीन नहीं देना चाहती हूँ।
 206. फिलोमिना कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
 207. इवनेसिया एक्का, धर्मजयगढ़ – कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते।
 208. बरबिना, पतरापारा – जमीन नहीं देना चाहते हैं।
 209. उर्सेला लकड़ा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करती हूँ।
 210. अमुल्य कुमार, मेढरमार, – जमीन जायेगा तो पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा।
 211. शसरोल टोप्पो, पतरापारा – यहां जो डाइट है हजारो बच्चें पढतें है। इसलिये मैं विरोध करता हूँ।
 212. श्याम साहू, बेहरापारा – मैं डी.बी.पावर का विरोध करता हूँ। पढ का सुनाया गया आपत्ति पत्र को। पानी की कमी हो जायेगी। 600 फीट नीचे खदान हो जायेगा तो धरमजयगढ़ वालो के लिये क्या रह जायेगा ?
 213. विकास विश्वास, हाथीगड़ा – विरोध करता हूँ

214. विनोद कुमार साव, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। सुबह से सारी जनता विरोध कर रही है तो कलेक्टर महोदय को घोषणा कर देना चाहिए। प्रत्येक घंटा में बताया जाये कि कितना विरोध हुआ है और कितना समर्थन ।
215. रोशन तिकी , बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। डी.बी.पावर वाले चाहते क्या है कि धरमजयगढ़ नंगा हो जाये ।
216. अभिषेक कुजुर, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा ।
217. हेमकुमार बरेठ, बेहरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ।
218. कमल टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ इसका कारण यह है कि यहां से कोयला खनन किया जायेगा ।
219. संतोष एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ
220. रोशन तिकी , पतरापारा – मैं डी.बी. पावर का विरोध करता हूँ क्योंकि यहां के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों पर प्रभाव पड़ेगा ।
221. बेनेदिता खेंस, बेहरापारा – जमीन नहीं देंगे ।
222. लुसिया टोप्पो, पतरापारा – जमीन नहीं देंगे ।
223. प्रशन्न एक्का, बेहरापारा – जमीन नहीं देंगे ।
224. रिजीना मिंज, धरमजयगढ़ – मैं पावर प्लांट को विरोध करती हूँ।
225. सुषमा कुजुर, पतरापारा – मैं विरोध करती हूँ।
226. दशमति एक्का, पतरापारा – मैं विरोध करती हूँ।
227. अंजना तिकी, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
228. गोदो मिंज, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
229. सेतमति चौहान, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
230. हियासिन्ता तिकी, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
231. पुष्पा केरकेट्टा, पतरापारा – मैं विरोध कराना चाहती हूँ क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होगा ।
232. जंयति तिग्गसा, धरमजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
233. पिछा बड़ा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
234. अलमा कुजुर, धरमजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
235. शोभा बेहरा, पतरापारा धरमजयगढ़ – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
236. कुसुम कुजुर, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
237. स्कोलो मिंज, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
238. एन्ड्रेसिया टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
239. तेरेसा तिकी, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
240. सुनैना बैगा, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर ग्रुप को विरोध करती हूँ।
241. मानमति सारथी, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर को विरोध करती हूँ।
242. हेलेना टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर को विरोध करती हूँ।
243. बिलासो बाई, पतरापारा – मैं डी.बी. पावर को विरोध करती हूँ।
244. दिलमेत बाई, पतरापारा – मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
245. दिलमोहनी सारथी, पतरापारा – मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
246. ज्योति कुजुर, पतरापारा – मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ। जंगल के बीच में रहते हैं हमें हरियाली चाहिए कोयला नहीं चाहिए ।
247. सुमित्रा तिकी, पतरापारा – मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।

248. सावित्री एक्का, पतरापारा— मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
249. लक्ष्मी भगत, बेहरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
250. रजमनी बाई, बेहरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
251. दिव्या बड़ा, धरमजयगढ़ — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
252. संगीता बड़ा , धरमजयगढ़ — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
253. स्वाति तिकी, धरमजयगढ़ — लोक सुनवाई का विरोध कर आपत्ति दर्ज करती हूँ।
254. सविता लकड़ा, बेहरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
255. रजनी एक्का, पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
256. संगीता लकड़ा, दीपनगर — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
257. प्रिया बरवा, दीपनगर — मैं कम्पनी का विरोध करती हूँ।
258. रोहित कुजुर, पतरापारा — मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ क्योंकि कई प्रकार की बीमारियाँ होगी।
259. जय कुमार पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करता हूँ।
260. अंकित एक्का पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करता हूँ।
261. कुलजैस , पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करता हूँ।
262. कुशल एक्का, पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करता हूँ।
263. संजय एक्का, पतरापारा — मैं कम्पनी का विरोध करता हूँ।
264. जगदीश सरकार , धर्मजयगढ़ — जब कल मीटिंग में कहा गया था, कि धर्मजयगढ़ को छोड़ा गया है, फिर बोर्ड में से उसे काटा क्यों नहीं गया है ? इसका मतलब है हमारे साथ छल किया जा रहा है । आज जब धर्मजयगढ़ में इतना हाथी आता है इनको दिखाई नहीं देता है, ये अंधे लोग हैं, मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करता हूँ।
265. साहिद खान, पतरापारा — मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करता हूँ। क्योंकि जब से यह आया है तब से हमारे धर्मजयगढ़ में अशान्ति फैल गया है, जब वे सबसे पहले आये थे, तो गार्ड के साथ बंदूक लेकर चलते थे, ये धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 8 वीं से अधिक शिक्षित लोग नहीं है हमारी जानकारी में 8 से कम किसी ने पढ़ा ही नहीं है। इन्होंने मंदिर, चर्च और मस्जिद को नहीं बताया है कल को यह कह देंगे वो कहेंगे कि यहाँ मानव ही नहीं रहते हैं, यहाँ हाथी है, इसकी जानकारी नहीं है, यह जन सुनवाई तो परीक्षा का प्रवेश पत्र है, फिर परीक्षा में क्या किया जायेगा। इनके द्वारा आस्था के केन्द्र, और जंगली जानवरों को नहीं बताया गया है, 600 फीट खोद देंगे तो हमें पानी कहाँ मिलेगा ? तब हम क्या कोयला पीयेंगे और खायेंगे। हमारे किसान अनाज उगाते हैं तो हम सब खाते हैं, जब कोयला खोदेंगे तो तब कोयला खायेंगे क्या ? यह जन सुनवाई अवैधानिक है इसका मैं विरोध करता हूँ।
266. शिवनंदन, पतरापारा — मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
267. हरिचरण दयाल, धर्मजयगढ़ — हमको हमारे सवाल का संतोष जनक जवाब मिलना चाहिए, डी. बी. पॉवर के लोग पिछले कुछ दिनों से गांव में घूम-घूमकर बिस्किट, चाकलेट और चप्पल बांट रहे हैं यह समाज सेवा नहीं है यह प्रलोभन में आता है इनके उपर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। कंपनी के द्वारा रायगढ़ से लोगों को समर्थन हेतु ढोकर लोगों को लाया गया है। यह भी अपराध है। पर्यावरण अधिकारी से जानना चाहता हूँ कि आपके कार्यालय में आज तक कितने आपत्ति और दावा मिले हैं, उसकी जानकारी दी जाये, उन आपत्तियों पर बिना विचार किये जन सुनवाई करायी जा रही है। पहले उस पर विचार किया जाये उसके बाद जन सुनवाई करवाया जाना चाहिए था। शपथ पत्र किसकी ओर से जारी किया गया है

क्या वह इसके लिये अधिकृत है ? ई. आई. ए. रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए थी, केवल एक 4-6 पेज की हिन्दी समरी दी गई है जिसमें कंपनी की तारीफ लिखी है सम्पूर्ण ई. आई. ए. हिन्दी में होनी चाहिए थी ताकि हम समस्त तथ्यों को समझ सकें। 693.326 हेक्टेयर हेतु यह जन सुनवाई हो रही है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र वनों से आच्छादित है, कोयला खदान के स्थापना से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा, ऐतिहासिक क्षेत्रों में प्रदूषण होगा, अतः मैं इस डी. बी. पॉवर कंपनी का विरोध करता हूँ।

268. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – आज की जन सुनवाई केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के अनुरूप नहीं हो रही है। कंपनी के द्वारा जो आवेदन के 45 दिन के अंदर जन सुनवाई होनी चाहिए, अगर किसी कारण वश अगर वह जन सुनवाई करवाने में असमर्थ होती है तो केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक समिति का गठन कर जन सुनवाई कराई जायेगी, जिसके अनुसार यह जन सुनवाई अवैध हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर कंपनी 125 हेक्टेयर जमीन आज छोड़ रहे हैं तो आपकी ई. आई. ए., टी. ओ. आर. के मुताबिक नहीं है, उस जमीन को छोड़कर आपको पुनः आवेदन करना होगा और उसके बाद जन सुनवाई होगी, आपने वन विभाग से जानकारी नहीं ली है, मेरी जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 100 से अधिक घरों को तोड़ा गया है और 5 लोगों को हाथी ने मारा है आपके ई. आई. ए. में गिलहरी, बंदर, भालू, दिखे लेकिन इतना बड़ा हाथी नहीं दिखाई दिया, इस क्षेत्र में ई. आई. ए. को कट एण्ड पेस्ट के तहत बनाया जाता है। आप के अनुसार यहाँ पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन यहाँ कि जल संसाधन विभाग के अनुसार कितने बोर सूख चुके हैं। यह क्षेत्र पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है और उसके अनुसार आदिवासी की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, उन परिस्थितियों में आप आदिवासियों की जमीन कैसे लेंगे ? अगर आप ले लेंगे तो पेशा एक्ट के तहत जमीन को 10 वर्ष तक डायवर्सन नहीं होगा तब तक क्या आप लोग इंतजार करेंगे ? इस क्षेत्र के 70-80 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूची क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बिरहोर जाती के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। इसका उल्लेख आपकी ई. आई. ए. में नहीं है, पहाड़ी कोरवा वो भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। आपकी ई. आई. ए. के अंदर महिलाओं के लिये कोई भी शब्द नहीं लिखा है। जब ये परिवार होगा तो विस्थापन की सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है। इस धर्मजयगढ़ के अंदर जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन को देखें तो इस खदान से धर्मजयगढ़ में मानव संसाधन का कितना नुकसान होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नेशनल हाईवे रोड का 4 किलो मीटर आपके खदान के अंदर आती है। उसके बारे में आपके ई. आई. ए. में नहीं लिखा है। कोयला निकालने के लिये अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दुर्घटना कितनी अधिक बढ़ेगी, अभी प्रतिमाह रायगढ़ में 63 मौतें होती हैं, आज अगर रेलगाड़ी से कोयला ले जाने की बात कहते हैं तो रेल हवा में नहीं चलती वह जमीन कहीं से लायेंगे। विस्थापन के बाद पुर्नवास के बारे में कहा गया है, कि राज्य सरकार के नीतियों के अनुसार लोगों को पुर्नवास किया जायेगा। छाल में पुर्नवास के नाम पर 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है। क्या ये लोग भी ऐसा करेंगे ? समस्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कंपनी के तरफ से एक दिन का मानदेय देना चाहिए।

269. रेनु लकड़ा, पतरापारा – मैं डी. बी. पॉवर कंपनी के जन सुनवाई का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज करती हूँ।
270. विनिता बड़ा, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
271. नीलम टोप्पो, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
272. उर्सला कुजूर, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
273. मटिल्डा बड़ा, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
274. सुशमा मंडल, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
275. संगीता तिग्गा, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
276. ममता मंडल, पतरापारा – जब से डी. बी. पॉवर आया है तब से अशान्ति फैला है, हम लोग कितना मजदूरी करके अपना जीवन यापन किये आज हमको इस जगह से भगाया जा रहा है, इस जमीन में हमने बहुत मेहनत किया है। मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
277. तुलसी मंडल, संतोष नगर – हमारा जो 5 एकड़ जमीन है उसमें 250 आम का पेड़ है निंबू पेड़ है उसको बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
278. हेलन एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
279. उर्मिला, लक्ष्मीपुर – कंपनी का विरोध करती हूँ।
280. मार्गेट तिग्गा, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
281. लक्ष्मी तिकी, लक्ष्मीपुर – कंपनी का विरोध करती हूँ।
282. सेलेना एक्का, लक्ष्मीपुर – कंपनी का विरोध करती हूँ।
283. रविघोष, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं।
284. सूमति विश्वास, बायसी कालोनी – कंपनी धुंआ छोड़ेगा तो कहाँ जायेगा ? एक महिना में पूरा भारत समाप्त हो जायेगा।
285. उर्मिला टोप्पो, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
286. उर्मिला दास, बायसी कालोनी – हम जमीन नहीं देंगे।
287. सुभाषी मंडल, बायसी कालोनी – हम कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
288. रुपमनो विश्वास, बायसी कालोनी – कंपनी का विरोध करते हैं, कंपनी को भगाओ।
289. अमोला मजूमदार, बायसी कालोनी – हम कंपनी का विरोध करते हैं।
290. मनिदास, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देंगे।
291. चंचल, मेढरमार कालोनी – हम पर्यावरण के खिलाफ लोगों का विरोध करते हैं, डी. बी पॉवर यहाँ से चले जायें।
292. प्रमिला विश्वास, बायसी कालोनी – हम कंपनी से भीख मांगकर नहीं खाना चाहते हम लोग जितना फसल होता है, उसको बेचकर चार-पांच साल खाते हैं।
293. विजय लकड़ा, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करता हूँ। हमारा धर्मजयगढ़ स्वच्छ है उसे प्रदूषित नहीं होने देंगे। डीबी पॉवर वापस चले जायें।
294. श्याम प्रसाद, वार्ड क्र. 8, धर्मजयगढ़ – हम लोग मुआवजा नहीं देना चाहते ये लोग 5-5 पैसे बचाकर पेपर चलाते हैं, ये हमें क्या मुआवजा देंगे, मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
295. मनोरंजन विश्वास, पतरापारा – नगर पंचायत के बारे में लिख के दिया गया है तो फिर हमको ग्राम पंचायत के लोगों को लिख कर क्यों नहीं दिया जायेगा ? हमको भगाया जायेगा तो हम कहाँ जायेंगे ? हम अपना जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे।

296. नकुल चौहान, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करता हूँ।
297. रोहणी प्रताप सिंह राठिया, धर्मजयगढ़ – हमारे धर्मजयगढ़ क्षेत्र में दो प्रकार के लोग हैं एक भूमि स्वामी और एक भूमि धारी आपने कहा है जो भूमि स्वामी हैं उनको मुआवजा देंगे और जो लोग कब्जा किया हुआ है और खेती कर रहे हैं उनके लिये कुछ नहीं कहा गया है। उनके पास भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं है। जल प्रदूषण के लिये तो आप नल-जल योजना, मिनरल वॉटर और अन्य व्यवस्था बनाया है, लेकिन जानवरों के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है, वे प्रदूषित पानी पियेंगे तो मर जायेंगे। डी. बी. पॉवर का नाम तो दैनिक भास्कर है जिसका काम लोगों की परेशानी को लोगों को बताना है यह प्रदूषण लेकर क्यों आ रहा है?
298. प्रेम सिंह राठिया, भंवरखोल – जिस क्षेत्र में डी. बी. पॉवर खुल रहा है उसके खुलने से पूर्णतः पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा, इससे क्या हानि और क्या लाभ है वह हर कोई समझ सकता है, आदिवासी किसानों को जो क्षति होगा उसको सरकार और कंपनी नहीं समझ सकता है।
299. जितेन्द्र नरसिंह राणा, मेढरमार – यह जो कोल मार्इन्स के लिये बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कंपनी के कारण विकास होगा लेकिन हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विनाश की ओर ले जाये, यह धान के कटोरे को धूयें का कटोरा बनाना चाहता है। इसमें विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होगा। ई. आई. ए. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाथी नहीं है, खुद पीठासीन अधिकारी इस क्षेत्र में हाथी देख चुके हैं या शासन का रिपोर्ट झूठा है या कंपनी ने झूठी जानकारी दी है। हमने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जानकारी ली है कि अगर कंपनी भ्रामक और गलत जानकारी देती है तो उसको निरस्त कर दिया जायेगा, मैं स्वयं कोर्ट में इनसे लडूंगा, यह जो टेंट गड़ा है वह कंपनी के द्वारा लगाया गया है या शासन के द्वारा लगाया गया है। जब एक पक्ष बाहर है तो कंपनी के लोगों को अंदर क्यों रखा गया है ? जिस बंगाली परिवार को हमारे पूर्वजों ने बसाया है, उन बंगाली परिवारों के लिये कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, आज से 50-55 वर्ष पूर्व जब ये बंगाली परिवार यहाँ आये थे, तो उस समय उनको रामकुमार अग्रवाल जी ने बसाया था, जिस बंजर जमीन पर उन्हें बसाया गया था, उसमें घास भी नहीं उगता था, आज उस जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया है और आज उनको विस्थापित किया जा रहा है। ई. आई. ए. रिपोर्ट में जो गलत आंकड़ा दिया गया है, तो निरस्त किया जाना चाहिए और इनको जमीन नहीं दिया जाना चाहिए, ये लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं।
300. संजय तिकी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, धर्मजयगढ़ – मेसर्स डी. बी. पॉवर के उत्खनन से 150 फीट से 600 फीट तक जो गढ़ा होगा तो धर्मजयगढ़ के जो तालाब और कुएं हैं उनका जल स्तर नीचे चला जायेगा। आज ये नगर पंचायत को छोड़ने की बात कहते हैं, अगर यह कंपनी यहाँ बैठती है तो नगर पंचायत को हमको छोड़ना पड़ेगा।
301. रामनाथ, बीजापथरा – हम अपना जमीन कंपनी को नहीं देंगे।
302. महेश कुमार चैनानी, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, धर्मजयगढ़ – अगर किसी चुनाव में किसी प्रत्यासी द्वारा वोटों को प्रभावित करने के उद्देश्य से वोटों को पैसा बांटा जाता है तो उसके खिलाफ कर्र्यवाही की जाती है, इस डी. बी. पॉवर के द्वारा बच्चों को बिस्किट, चाकलेट, और चप्पल बांट कर जन सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? कोल ब्लॉक के लगने से यहाँ के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ का पर्यावरण

बहुत अच्छा है। यहाँ कंपनी के द्वारा खुदाई की जायेगी, जिससे नदी नाले और कुएं सूख जायेंगे जिससे पानी की समस्या पैदा होगी, इस कोल ब्लाक के खुलने से वन्य जीव प्रभावित होंगे, उपरोक्त कारणों से मैं डी. बी. पॉवर का विरोध करता हूँ। कोयला का मुख्य जोन तो नगर पंचायत क्षेत्र है, तो कोयला खोदने के लिये क्या नगर पंचायत को भोपाल ले जायेगा।

303. मनोज कुमार पटेल, धर्मजयगढ़ – आजादी के 60 साल बाद हमारे नेताओं को धर्मजयगढ़ के विकास का याद आ जाता है, यहाँ के जंगल के जमीन को हमने कृषि योग्य भूमि बनाकर उस पर आज खेती कर रहे हैं। सरकार को हमारे विकास की नहीं हमारे जमीन के नीचे जो कोयला है उसकी जरूरत है, हमने 1989 से कालेज की मांग की थी, उसको पूरा नहीं किया गया और आज हमको विकास के नाम पर बिस्किट, चाकलेट और चप्पल देकर हमारा विकास करेंगे। हमने रायगढ़ और कोरबा को देख लिया है वहाँ के बच्चे अपने नाक में मास्क पहन कर स्कूल जाते हैं। आपको कोयला, बिजली और पैसा चाहिए, हमको शुद्ध हवा, शुद्ध जल चाहिए। रायगढ़ और कोरबा के प्रदूषण को धर्मजयगढ़ की पर्यावरण शुद्ध कर रही है। धर्मजयगढ़ की जनता अशिक्षित है हम उनको टग लेंगे, लेकिन हम पर्यावरण के मुद्दे पर किसी भी प्रकार से समझौते नहीं करना चाहते हैं।
304. फिलिप कुजूर, धर्मजयगढ़ – आज जंगल को मत काटिये मैं विरोध करता हूँ और अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ।
305. अमिर उल्ला खान, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करता हूँ।
306. पुर्बी, हाथीगढ़ा – हम लोग इतना बोल रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं ? कंपनी को भगाओ।
307. सविता विश्वास, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
308. रुपा विश्वास, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
309. सरोज राय, मेंढरमार – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
310. विशाखा मजूमदार, बायसी कालोनी – कंपनी वाले वापस चले जायें।
311. सपना मजूमदार, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
312. गीता मंडल, बायसी कालोनी – हम लोग कंपनी आयेगा तो बैठ नहीं सकेंगे, हम कंपनी का विरोध करते हैं।
313. उर्मिला मधु,, बायसी कालोनी – परसों हाथी आया था, फारेस्ट क्यों नहीं गया, कंपनी यहाँ से चले जाओ।
314. जोम्मा सिलवानी कुजूर, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
315. देवी मंडल, हाथीगढ़ा – कंपनी वालो का बच्चा नहीं है। वे कुत्ते हैं।
316. रुकमणी सिदार, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
317. उर्मिला सिदार, पतरापारा – मैं माटी को लेकर कहाँ जाउगी ?
318. रमेनिया कसेर, पतरापारा – जमीन नहीं देंगे।
319. रामबाई सिदारिन, पतरापारा – जमीन नहीं देंगे।
320. कमला पाल, हाथीगढ़ा – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
321. ज्योत्सना विश्वास, हाथीगढ़ा – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
322. गौरी, बायसी कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
323. गीता, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
324. लूनिया तिकी, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
325. शहराबानो, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।

326. मनकुमारी, पतरापारा – हमारे पास भेड़ बकरी है उसे कहाँ चराएंगे ?
327. मायालक्ष्मी बाई, हाथीगढ़ा – हम लोग जमीन नहीं देंगे। कंपनी को हटाना है। हम मर जायेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
328. सावित्री, बायसी कालोनी – हम लोग जमीन नहीं देंगे।
329. हरितिशी, बायसी कालोनी – कंपनी को जमीन नहीं देंगे, कंपनी को हटाओ।
330. मीना सिदार, पतरापारा – कंपनी को जमीन नहीं देंगे।
331. शकुन्तला, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
332. रेखा पाल, हाथीगढ़ा – कंपनी को हटाइये हमें शान्ति से रहने दीजिये।
333. कनक विश्वास, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देंगे।
334. कमला बैरागी, हाथीगढ़ा – हम लोग जमीन नहीं देंगे।
335. सविता मंडल, हाथीगढ़ा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
336. संध्या, हाथीगढ़ा – हम जमीन नहीं देंगे।
337. कल्पना पाल, हाथीगढ़ा – हम जमीन नहीं देंगे।
338. सुकुमारी मंडल, बायसी कालोनी – कलेक्टर महोदय को देखना चाहिए हमारे तकलीफ को, कंपनी का विरोध करते हैं, जमीन नहीं देंगे।
339. लक्ष्मी मजूमदार, बायसी कालोनी – जमीन नहीं देंगे।
340. कमोलीनि मंडल, बायसी कालोनी – कंपनी को हटाना है जमीन नहीं देंगे।
341. संगीता कुजूर, पतरापारा – इस लोक सुनवाई पर आपत्ति दर्ज कर विरोध दर्ज करती हूँ।
342. रमनी एक्का, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
343. कमलेश बाई, पतरापारा – कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाये, कंपनी का विरोध करती हूँ।
344. बेनिनिया टोप्पो, धर्मजयगढ़ – हम लोग आदिवासी है कंपनी का मैं घोर विरोध करती हूँ।
345. धनमति चौहान, पार्शद वार्ड नं. 5, धर्मजयगढ़ – हमारा जमीन जब गढ़ा था, उस समय उसे समतल करने सरकार आया था क्या ?
346. लीलावती श्रीमपली, बेहरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
347. ऊषा कालेन खेस्स, बेहरापारा – हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।
348. प्रभा किसकोहा, बेहरा पारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
349. सिलवानी केरकेट्टा, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
350. सुकृिता बेग, पतरापारा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ। क्योंकि इसका मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।
351. इन्दु बाई पटेल, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देना चाहते हैं।
352. लक्ष्मण कुमारी, मेंढरमार – हम जमीन नहीं देना चाहते हैं।
353. काया मलिक, बायसी कालोनी – हमारी जमीन में किस लिये आये हैं ? यहाँ से भाग जाओ, हम अपना जमीन नहीं देंगे।
354. ममता मंडल, बायसी कालोनी – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते।
355. सुनीता विश्वास, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
356. शीला विश्वास, बायसी कालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
357. मुकुट मलिनि, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
358. देवी हलधर, धर्मजयगढ़ – हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे।
359. पुष्पा, हाथीकालोनी – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।

360. अनिता विश्वास, हाथीगढ़ा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
361. नीलू मंडल, हाथीगढ़ा – हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं।
362. रेखा विश्वाल, हाथीगढ़ा – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करती हूँ।
363. सुशीला मंडल, बायसी कालोनी – कंपनी अगर सुबह तक नहीं गया तो हम झांसी की रानी बन जायेंगे और कंपनी को भगा देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जायेंगे, वे हमको साबुन दे रहे हैं, हम उनको साबुन देंगे वो यहाँ से चले जायें।
364. सविता सरकार, बायसी कालोनी – सुबह से हजारों लोग बोले हैं सभी लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर जन सुनवाई क्यों चल रहा है ? किसी ने भी सहमती नहीं दिया है तो जन सुनवाई को बंद कर देना चाहिए। मेरा विरोध है।
365. अनिल कुमार पाण्डेय, पार्षद, धर्मजयगढ़ – मैं डी.बी. पॉवर का विरोध करता हूँ। क्योंकि इससे मानव जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, हमें नई जगह जाना पड़ेगा इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
366. जोगेश्वर बैरागी, दुर्गापुर – सबको खुश रहना चाहिए, अगर कंपनी आयेगा तो सभी को दिक्कत होगा।
367. विमल सिंह, पतरापारा – मैं अपना जमीन किसी को नहीं देना चाहता।
368. विश्वनाथ, बायसी – डी.बी. ग्रुप आने से यहां की पर्यावरण नष्ट हो जायेगी। मैं डी.बी.ग्रुप का विरोध करता हूँ।
369. राम प्रसाद ढेवर, अध्यक्ष नगर पंचायत धरमजयगढ़ – पूरे आस पास के क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। कोई भी नागरिक नहीं चाहता की यहां खदान खुले।
370. दर्शन सिंह, बिजापतरा – कम्पनी आयेगा तो पानी नहीं बचेगा। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
371. अरिवल मधु, बायसी कालोनी– यहां के जनता शेर से कम नहीं और यहां के शेर को जगाओं नहीं। नहीं तो कोई बच नहीं सकता। दुर्घटना होने की सम्भावना है। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
372. युसुफ छाया, धरमजयगढ़ – आज हमारे क्षेत्र की जनता यहां खदान ना खुले यही चाहती हैं। नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनता प्रभावित हो रहे हैं। यह जन सुनवाई कानून के विरुद्ध हो रही है। नगर पंचायत की 350 एकड़ जमीन को छोड़ने की बात कही है उस हलफनामे की कापी चाहिए, ये बात छलावा है और हमें भ्रमित किया जा रहा है। जब नगर पंचायत क्षेत्र छूट सकता है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र को क्यों नहीं छोड़ा जाये ? इस मंच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाये या फिर इस जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाये। बालको कंपनी तराईमार से मेंढरमार आ रही है और डी.बी. पॉवर मेंढरमार से तराईमार जा रही है तो जनता कहां जायेगी ?
373. बंधन सिंह राठिया, वार्ड क्र.3 – मैं डी.बी. पॉवर को इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ और अपना जमीन नहीं दूंगा। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
374. किशोर बेहरा, धर्मजयगढ़ – यहाँ जो कोयला खदान होगा उसका प्रखर विरोध करता हूँ, कोयला खदान खुलने से पीने के लिये पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, लोगों को विभिन्न बीमारी होगी, यहाँ ध्वनि प्रदूषण होगा, इस क्षेत्र की जनता विरोध करती रहेगी, जब तक डी.बी. पॉवर वापस नहीं जायेगी।
375. गुलाब सिंह राठिया, मेंढरमार – मैं जमीन तो क्या सुई का एक नोक भी कंपनी को नहीं दूंगा।

376. विजय यादव, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि कोल ब्लाक के खुलने से कृषि भूमि और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
377. सोमनाथ कुमार मंडल, मेंढरमार कालोनी – कंपनी यहाँ आयेगी तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम एतिहासिक क्षेत्र से वंचित हो जायेंगे, ई. आई. ए. में कहा गया है कि सागौन के पेड़ नहीं हैं पर्दे को हटाईये वहीं 100 से अधिक सागौन के पेड़ हैं, यहाँ नाबालिक बच्चों को बोलने नहीं दिया गया, और नाबालिक बच्चे चाय बांट रहे हैं।
378. अमूल हलधर, धर्मजयगढ़ कालोनी – यहाँ हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, रायगढ़ में बहुत सारे बीमारी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रदूषण है। हमारे माँता पिता जब भूख से मर गये तब कंपनी कहाँ था ? आज हम लोग जमीन को मेहनत करके बनाये हैं। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
379. शांति हलधर, मेंढरमार – कंपनी का विरोध है।
380. सूभाष चन्द्र मंडल, मेंढरमार कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है कंपनी आने से यहाँ का हवा पानी दूषित हो जायेगा, कंपनी हास्पिटल खोलने की बात कहते हैं, हम नहीं चाहते की बड़ी बीमारी यहाँ आये। टाटा को हटा दिये तो ये छोटा-मोटा कंपनी क्या है ? यह शान्त क्षेत्र है, यहाँ अशान्ति फैल जायेगा।
381. ब्रजोन मंडल, बायसी कालोनी – अकेले केवल नगर को ही न बचाये पंचायत और गांव को भी बचाया जाये, कंपनी को यहाँ से हट जाना चाहिए।
382. तेजराम गुप्ता, उपसरपंच, आमापाली – आज हमारे बंगाली भाई लोग हैं, वे कलकत्ता और बंगाल से आकर यहाँ बसे थे, सरकार जगह बनाकर बंगाली भाईयों को हटाये।
383. सुरेन्द्र सिंह सहगल, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
384. भैरो मधु बायसी कालोनी – यहाँ कंपनी खुलता है तो पर्यावरण प्रदूषित होगा इसलिये मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
385. प्रदीप बछाड़, मेंढरमार – कंपनी के खुलने से बहुत अधिक प्रदूषण होगा, मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
386. शिवेन्द्र भारद्वाज, अधिवक्ता, हाईकोर्ट – क्या हम एफीडेविट की कापी ले सकते हैं, भारत सरकार के नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार 45 दिन के अंदर होना चाहिए था, इसमें कभी भी लैंड एक्वीजेशन देखा जाता है उसमें देखा जाता है कि पहले ब्लाक है या कंपनी है, इतना सुन्दर हमारा शहर नष्ट हो जायेगा, जब से कंपनी यहाँ आया है तब से यहाँ लायन आर्डर बहुत अधिक बढ़ गया है।
387. एमानवेल खलखो, पतरापारा – इंटरनेशनल रूप से हमारी बात रखी जाये और मे विश्व पर्यावरण संगठन हमारी बातों को सुने, आज हमारे खेत और हमारे पेड़ पौधों को काट दिया जायेगा, हम आदिवासी हैं, क्या कोयला निकालने के बाद यहाँ का पर्यावरण बच पायेगा, पूरे वर्ल्ड को बताइये कि इसके लिये क्या किया जायेगा ? मेरा आपत्ति दर्ज किया जाये।
388. मणि मोहन, मेंढरमार – जो ई. आई. ए. रिपोर्ट में गलती है। कोयला खोदने से जो हमको नुकसान होगा , उसके लिये मैं कंपनी का विरोध करुगा।
389. खिरोद, बायसी कालोनी – इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन से पर्यावरण प्रदूषित होगा, वाहन चलेंगे जिससे धूल उड़ेगा, हमारा तालाब में धूल होगा, जो जलीय जीव हैं वो

- नष्ट हो जायेंगे। इनको इतने बड़े हाथी नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर आप लिखे हैं कि रोजगार मिलेगा, लखनपुर में खुली खदान खुली है उसमें रोजगार नहीं दिया गया है खदान से जो प्रदूषण होगा इसके लिये मैं विरोध करता हूँ।
390. जगन्नाथ विश्वास, बायसी कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
391. डलासियुस कुजूर, पतरापारा – मैं एक इंच भी जमीन डी. बी. पॉवर को नहीं दूंगा। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
392. विजय बाछाड़ा, मेंढरमार – अगर पारिस्थिक तंत्र ही नष्ट हो जायेगा तो विकास कहीं से होगा।
393. कुलदीप कुमार, मेंढरमार – अगर यहाँ कोल ब्लॉक आयेगा तो पर्यावरण नष्ट हो जायेगा, स्कूल कालेज भी नष्ट हो जायेगा, सब जगह काला हो जायेगा इसलिये मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
394. प्रेमसाय, पतरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
395. गोविंद कुमार चौहान, पतरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
396. आनंद सबीरखेस, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। इससे सभी को बहुत नुकसान होगा, किसानों को भी नुकसान होगा।
397. प्रेमसागर, बेहरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
398. संदीप मारकस एक्का, पतरापारा – एक पेड़ दस बच्चों के सामान है, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ।
399. राजकुमार मिश्रा, धर्मजयगढ़ – मैं श्री माल्या जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन करने के कारण आज डी. बी. पॉवर को अपना पांव खींचना पड़ा और नगर पंचायत को नहीं खोदेंगे, अब व्यापारी आश्वासन दे रहा है कि यहाँ खोदेंगे और यहाँ नहीं खोदेंगे। कंपनी को अपने वाद में अगर अंतर किया गया है तो उसे पहले वहाँ जाकर आवेदन करना चाहिए, एक डीबी पॉवर की कंपनी ने कहा कि वह पहले एस. ई. सी. एल. के कर्मचारी थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है आज यहाँ काम कर रहे हैं और कल कहीं और काम करेंगे तो ऐसे आश्वासन का क्या महत्व है।
400. नेहरु राम चौहान, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
401. संतोष प्रधान, धर्मजयगढ़ – जो भी कंपनी लगी है वे पेड़ों को फिर से वापस नहीं ला सकते, ये फिर एक छोटे से पौधा लगायेंगे और हरिहर अभियान चलायेंगे मैं इस कोल ब्लॉक का विरोध करता हूँ।
402. मिराज खान, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
403. प्रशांत सरकार, धर्मजयगढ़ – डी. बी. पॉवर के खुलने से जल, ध्वनि वायु प्रभावित होगा। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
404. हरिचरण सारथी, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि यहाँ के साफ सुथरा जलवायु में परिवर्तन हो जायेगा, यहाँ प्रदूषण हो जायेगा। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि यह कंपनी न खोला जाये।
405. हरिदास हलधर, मेंढरमार – कंपनी क्या करेगा प्रदूषण फैलायेगा।
406. अधिर कुमार विश्वास, धर्मजयगढ़ – हमारे गांव के नाम को धरम कालोनी नाम लिखकर विकृत किया जा रहा है, इसे धर्मजयगढ़ कालोनी ही लिखा और पढ़ा जाये। यहाँ के पर्यावरण की जो स्थिति है, डी. बी. पॉवर को सोचना चाहिए कि वे धर्मजयगढ़ कालोनी में क्यों आया है ? यह कंपनी कोई जमीन नहीं छोड़ेगा, इसलिये मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ। आज तक हमको कोई बुनियादी सुविधा

नहीं मिला है शासन को इसका को उसी समय अध्ययन करना था, कि इस क्षेत्र के नीचे में कोयला है उसके बाद हमें यहाँ बसाता, अब हमें फिर से विस्थापित नहीं होना है।

407. एडविन एक्का, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
408. मुकुल दास महंत, धर्मजयगढ़ – पूर्व में भी हमने जिला प्रशासन को लिख कर दिया था, कि आज के बाद यहाँ और कारखाने नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन जनता को लूटा जा रहा है यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है, इस जमीन को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। हम आमरण अनशन में बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे।
409. मनोरंजन, मेंढरमार कालोनी – मेरा सब्जी होता है उसको बाजार में बिक्री कर रहा हूँ।
410. आशिष विश्वास, दुर्गापुर कालोनी – आज जो जन सुनवाई कराई जा रही है वह पूरी तरह भ्रामक और झूठा है, यहाँ आये दिन हाथी आते हैं और लोगों के घर और जानमाल का नुकसान करते हैं, अगर कोल खदान खोला जायेगा तो यहाँ अपूरणीय क्षति होगी, ध्वनि, जल एवं वायु प्रदूषण होगा, ई. आई. ए. में लिखा है कि यहाँ कोई जानवर नहीं पाये जाते जबकि हाथी यहाँ पाये जाते हैं।
411. गगन मंडल, मेंढरमार – मैं यहाँ खेती करता हूँ और एक लाख रुपये का हर साल फसल बेचता हूँ। आज डी.बी. पॉवर ने यह तथ्य रखा है कि नगर पंचायत को छोड़ दिया जायेगा और ग्राम पंचायत को नहीं छोड़ा जायेगा, कंपनी यहाँ राजनीति लगा रही है हमको शहर के लोगों से लड़ाना चाहती है यहाँ ऐसा साधन बनाना चाहिए कि भूमि स्वामि को फायदा हो। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
412. नवीन हलदार, बायसी कालोनी – ऐसा कौन सा जगह है जहाँ कंपनी के खुलने से प्रदूषण नहीं हुआ है जहाँ भी कंपनी आती है वहाँ प्रदूषण होता ही है, छ.ग. से पूरे देश में धान जाता था, आज कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ कंपनी फैल रहा है कुकुरमुत्ते फैल जायेंगे तो धान कहीं से होगा।
413. गगन मंडल, मेंढरमार – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
414. आनंद कुमार तिग्गा, दुर्गापुर – कंपनी को दुर्गापुर का कितना जमीन दिया गया है उसकी जानकारी नहीं दी गई है। आदिवासियों को पता ही नहीं चला, हिन्दी में लिखा है कि 618000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना बताया गया है। जमीन कहीं का कितना है इसकी जानकारी नहीं है। कोयला खुदेगा तो पर्यावरण खराब होगा, वायु प्रदूषण होगा, लोगों का फेफड़ा खराब हो जायेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो बीमारी फैलेगा, इस क्षेत्र के लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं, जहां प्रदूषण अधिक होता है वहाँ बीमारी फैलता है। यह जमीन कहीं है इसकी जानकारी दी जाये। पुर्नवास के बारे में जानकारी दी जाये। इस एकड़ जमीन के नीचे 20 करोड़ की जमीन है, तो हम 8 लाख में क्यों दें, हमको सब्सीडी देकर जमीन कोयला खोदने दिया जाये। यह कानून बनाया जाये और किसानों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, कंपनी में हजारों आदमी का जमीन छीना जायेगा, जो इसका मुआवजा है, उड़ीसा में 25 लाख दिया गया है, महाराष्ट्र में 45 लाख दिया गया है। हमारी जमीन है हमको उचित मुआवजा दिया जाये।
415. राकेश विश्वास, बायसी कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
416. सतोष मंडल, मेंढरमार – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। कंपनी कहता है कि हमको काम देगी हम कभी गुलामी नहीं करना चाहते हम अपना जमीन नहीं देंगे।

417. जयसिंह, धर्मजयगढ़ – डी.बी गुप हटाये और पर्यावरण बचायें।
418. जामनी मंडल, मेंडरमार कालोनी – इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाये, भारत को भ्रष्टाचार में 82 स्थान पर रखा गया है, जब हम एक हो जायेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे पर्यावरण को छीन सके।
419. रविन्द्र, धर्मजयगढ़ – विनाष नहीं विकाष चाहिए, पूंजीवाद नहीं साम्यवाद चाहिए, बंगाली विस्थापितों को 90 लोगों की जमीन डी. बी. पॉवर में फंसा है उनको आज दिनांक तक भू-स्वामि अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा आज जो जन सुनवाई कराई जा रही है यह नियम विरुद्ध है। ई. आई. ए में भ्रामक बातें लिखी है। नगर पंचायत के लगभग 10 वार्ड इससे प्रभावित हो रही है, मतदाता 10000 है और उनकी जनसंख्या 16000 है वे प्रभावित होंगे। पिछले दिनों जो बैठक हुआ था, उसमें नगरीय क्षेत्र के 350 एकड़ जमीन को छोड़ा जायेगा, भारत के संविधान में नगरीय और ग्रामीण लोगों को एक समान अधिकार है, अगर शहर को छोड़ा जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र को भी छोड़ा जाये। कंपनी के बगल में वेदांता गुप की खदान प्रस्तावित है, खनिज शाखा के द्वारा जो जानकारी खनिज शाखा को 2007-08 में पत्र लिखा गया था, उसका जिक्र ई. आई. ए. में नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राठिया, संसदीय सचिव के द्वारा आपत्ति पत्र माननीय मनमोहन सिंह, माननीय रमन सिंह, और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण अडवाणी जी को लिखा है कि आबादी क्षेत्र को लीज क्षेत्र हेतु नहीं दिया जाये।
420. रवि कुमार, मेंडरमार – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
421. विनय मंडल, मेंडरमार कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
422. रविशंकर सरकार, धर्मजयगढ़ कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
423. जीता मिश्र पाल, बायसी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
424. शंकर हलधर, प्रेमनगर कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
425. निशिकांत मंडल, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
426. फेलुस कुजूर, बेहरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। इससे पर्यावरण का नाश होगा।
427. अशोक राय ,बायसी कालोनी – आज यह खेत मेरी है मैं अपने खेत का मालिक हूँ, कंपनी कल जमीन ले लेगा तो मैं नौकर हो जाऊंगा।
428. दानियल तिकी, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
429. एन. खान, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
430. प्रभात विश्वास, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
431. संदीप बड़ा, पतरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
432. संजय मजूमदार, बायसी कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
433. अशोक कुजूर, पतरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
434. नंदन कुमार मंडल, बायसी कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
435. सुदीप सरकार, धर्म कालोनी – कंपनी आने से पर्यावरण प्रदूषण होगा, लोगों का शोषण होगा। मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
436. दुलार, बायसी कालोनी – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
437. जोसेफ बड़ा, पतरापारा – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ।
438. सुबोध मिंज, धर्मजयगढ़ – मैं इस कम्पनी का विरोध करता हूँ। कंपनी से यह बात कहना चाहता हूँ कि वे बताये हैं कि यहाँ 8वीं पास हैं, मैं एजूकेशन मास्टर ऑफ

डिग्री है। मैं अच्छा अंग्रेजी बोलता हूँ, वे मुझे मैनेजर बनाऊंगा बोलते हैं, मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता, मेरे पिता किसान हैं मैं उसी में खुश हूँ।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि श्री माधव मुकुंद ओझा, असिस्टेंट वाईस प्रेसीडेंट, श्री दीप काबरा, सीनियर वाईस प्रेसीडेंट एवं डॉ. रतन, ई. आई. ए. कंसलटेंट ने परियोजना से होने वाले होने प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा रात्रि 8.15 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

उद्योग प्रतिनिधि श्री माधव मुकुंद ओझा, सहायक प्रबंधक का कथन –

1. कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, और सभी चर्च, मंदिर मस्जिद और पुरातत्व के चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
2. पुर्नवास के संबंध में भ्रम है, हमने मकान बनाने के लिये 0.1 जो लिखा है वह साढ़े चार फुट होता है। 3.24 लाख रुपये के में मकान बनाया जायेगा। मकान क्रेक नहीं हो इसका ध्यान रखा जायेगा।
3. जो बचा हुआ मार्इनिंग क्षेत्र है उसी में सब कुछ करा जायेगा।
4. 600 फूट की गहराई हमारी 30 साल बाद आयेगी, वर्तमान में कोई तालाब और बोर नहीं सुखेंगे।
5. सी एस. आर. में प्रतिवर्ष लाभ का 5 प्रतिशत खर्च किया जायेगा।
6. हाथी के बारे में हमारा जो कोर जोन है उसमें हाथी नहीं आता है।